



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 153 राँची, बुधवार,

26 मार्च, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

12 मार्च, 2025

संख्या-11/स्था०अराज०-11/2009-1686--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा सहायक कारापाल संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु "सहायक कारापाल संवर्ग" नियमावली, 2012 (समय समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने के निमित्त निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2025" कहलायेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. मूल 'सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 सह यथा संशोधित झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 2 में निम्न प्रावधान है:-

"सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच, शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच परीक्षा का आयोजन झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) अंतर्गत अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा आयोजित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने हेतु गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पर्षद में एक पदाधिकारी नामित किया जाएगा। शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा चिकित्सा पर्षद के द्वारा आयोजित किया जाएगा।

तत्पश्चात् शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच, शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। शारीरिक योग्यता परीक्षा (शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच, शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा) का मापदण्ड अनुसूची-1 के अनुरूप आयोजित की जायेगी।"

एवं

मूल 'सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 सह यथा संशोधित यथा संशोधित झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-4 में निम्न प्रावधान है :-

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच, शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर संसूचित रिक्तियों के अनुरूप कोटिवार सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा योग्यता (Merit) के आधार पर अंतिम रूप से नियुक्ति हेतु कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को अनुशंसा की जायेगी।

(ii) लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्ताग झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली (संशोधन सहित) में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।

एवं

मूल 'सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 सह यथा संशोधित झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-5 में निम्न प्रावधान है :-

"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच, शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच परीक्षा का आयोजन झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) अंतर्गत अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा आयोजित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने हेतु गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पर्षद में एक पदाधिकारी नामित किया जाएगा। शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा चिकित्सा पर्षद के द्वारा आयोजित किया जाएगा। उक्त तीनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के योग्य समझा जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच, शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा हेतु मापदण्ड

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षा:- सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा हेतु तिथि एवं चयन केन्द्र स्थल का निर्धारण चयन पर्षद द्वारा कारा महानिरीक्षक से समन्वय कर संपन्न किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदण्ड निम्नवत् होगा:-

- (i) दौड़- पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 कि०मी० ।
महिलाओं के लिए 40 मिनट में 05 कि०मी०।
- (ii) दौड़ के लिए रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी (Radio Frequency Identification (RFID) Chip Timing Technology) का प्रयोग किया जायेगा।
- (iii) आवेदक की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस (Biometric Devices) का प्रयोग किया जायेगा।
- (iv) सी०सी०टी०भी० टेक्नोलॉजी (CCTV Technology) का प्रयोग कर सभी संचालन का विडियोग्राफी किया जायेगा।

(ख) शारीरिक मापदण्ड:- शारीरिक मापदण्ड की जाँच चिकित्सीय जाँच परीक्षा के क्रम में चिकित्सा पर्षद के द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड न्यूनतम निम्नवत् होना आवश्यक होगा-

	ऊँचाई	सीने की माप
(क) सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-	160 से०मी०	81 से०मी०
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-	155 से०मी०	79 से०मी०
(ग) महिला -	148 से०मी०	लागू नहीं।

(ग) चिकित्सीय जाँच परीक्षा-

- (i) सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) चिकित्सीय परीक्षण असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित की जायेगी। चिकित्सा पर्षद में उनके द्वारा मनोनीत तीन चिकित्सक होंगे, जिसमें से एक महिला चिकित्सक होंगी। चिकित्सा जाँच के लिए मुख्यतः निम्नांकित विनिर्देशन होगा :-

"शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, Colour Blindness, Night Blindness, Hearing, Stammering,

Bericocele/Hydrocele/Piles और Any Communicable Physical/Mental disease का परीक्षण किया जाएगा।

(iii) चिकित्सीय परीक्षण में उपरोक्त वर्णित दोष पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे।

(iv) चिकित्सीय जाँच परीक्षा में लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए Apex Medical Board का गठन निम्न प्रकार प्रस्तावित है-

(a) शारीरिक / चिकित्सीय जाँच में लिये गये निर्णय के विरुद्ध "Apex Medical Board" अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय पर्वद, झारखण्ड, राँची होगा। चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में "Apex Medical Board" का निर्णय अंतिम होगा

(b) शारीरिक जाँच के अंतर्गत निर्धारित परिशिष्ट 'ग' एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा के मानक के अंतर्गत ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक को विलोपित किया जाता है।

नोट-1:- अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण/जाँच, शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा निर्धारित मानक के अनुरूप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु सभी में सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाईंग (Qualifying) प्रकृति का होगा।

2 :- शारीरिक रूप से अशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।"

एवं

मूल 'सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 सह यथा संशोधित झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के अध्याय-6 नियम-20 (c) में निम्न प्रावधान है:-

"विभागीय परीक्षा का आयोजन विस्तृत पाठ्यक्रम अनुसूची-II के अनुरूप होगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

अध्याय-3

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

7. 1. (i) नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सीधी भर्ती के लिए परीक्षा के क्रमशः निम्नलिखित चरण होंगे:-

(क) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा।

(ख) लिखित परीक्षा।

(ग) चिकित्सीय जाँच परीक्षा।

(ii) रिक्तियों के अनुरूप विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप, विज्ञापन का प्रकाशन तथा आवेदन पत्रों का संकलन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) इस प्रकार आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा हेतु प्राप्त वैध आवेदनों का डाटा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसमें घटनाक्रम का बॉक्स बना रहेगा ।

(v) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा हेतु तिथि एवं चयन केन्द्र का निर्धारण, निर्धारित जिलों में प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन केन्द्र एवं तिथि पर शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा इसका निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के परामर्श से किया जायेगा। शारीरिक मापदण्ड/दक्षता परीक्षा के संबंध में तिथि एवं चयन केन्द्र की सूचना सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में भी की जा सकेगी ।

(vi) चयन पर्षद द्वारा शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में चयनित योग्य अभ्यर्थियों की सूची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को लिखित परीक्षा हेतु प्रदान की जायेगी तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची भी आयोग को दी जायेगी, जिसे आयोग द्वारा संबंधित के सूचना हेतु वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकेगा ।

(vii) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का डाटा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा नियम-IV (iii) में वर्णित लिखित परीक्षा के स्वरूप एवं पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा ।

(viii) लिखित परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष मेधा आधार पर कोटिवार आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अल्पसूचीबद्ध किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया में लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को तत्संबंधी मेधासूची में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(ix) मेधा सूची के अन्तर्गत विज्ञापित रिक्ति के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों को कोटिवार आरक्षण के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा ।

(x) प्रथम चरण के उक्त चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा कोटिवार आरक्षण के अनुसार मेधाक्रम में नीचे आसीन अभ्यर्थियों को अगले चरण के चिकित्सीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(xi) आयोग द्वारा इस प्रकार चिकित्सीय परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर पदवार नियुक्ति हेतु अनुशंसा उनकी पात्रता /अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों के जाँच के पश्चात अधियाची विभाग को भेजने की कार्रवाई की जायेगी ।

(xii) उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा के सफल संचालन हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित करने हेतु सक्षम होगा।

II. शारीरिक मापदण्ड :- नियम-3 (क) में वर्णित पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक माप निम्नरूप से निर्धारित रहेगी ।

कोटि	उंचाई	सीना (फूलाकर)
सामान्य / पिछड़ा वर्ग/अपिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	160 से०मी०	81 से०मी०
अनु० जाति/जनजाति	155 से०मी०	79 से०मी०
महिला (सभी कोटि)	148 से०मी०	लागू नहीं

नोट-1 :- शारीरिक रूप से अशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

III. शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा:-

(i) पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार दौड़ आयोजित की जायेगी:-

	दूरी	समय
1. पुरुषों के लिए	01 मील (1600 मीटर)	06 मिनट
2. महिला के लिए	01 मील (1600 मीटर)	10 मिनट

(ii) दौड़ के लिये रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नॉलजी (Radio Frequency Identification (RFID) Chip Timing Technology) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

(iii) उंचाई एवं सीना की माप के लिए स्टैण्डर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विथ डिस्पले मॉनिटर्स (Standard Digital Height Weight Device with Digital Display Monitors) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी उंचाई एवं सीना की माप यथा उपलब्ध अन्य मानक उपकरणों से की जा सकेगी। शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा अतर्गत उंचाई एवं सीना की माप प्रारंभिक रूप से की जायेगी।

(iv) आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रीक डिवाइसेस (Biometric Devices) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में आवेदक की पहचान उसके आवेदन में दिये गये पहचान चिन्ह से मिलान कर की जायेगी।

(v) सी०सी०टी०भी० टेक्नोलॉजी (CCTV Technology) का प्रयोग कर सभी संचालन का विडियोग्राफी किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी सभी संचालन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

नोट- क. शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाईंग (Qualifying) प्रकृति का होगा।

ख. शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा हेतु प्रपत्र का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के मंतव्य से किया जा सकेगा।

IV. लिखित परीक्षा:-

(i) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

(ii) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी की सूची लिखित परीक्षा हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जायेगी। जिसे झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जायेगा।

(iii) लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्ताक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।

V. चिकित्सीय जाँच परीक्षा :-

(i) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित की जाएगी। चिकित्सा पर्षद में उनके द्वारा मनोनीत तीन चिकित्सक होंगे, जिसमें एक महिला चिकित्सक होंगी। चिकित्सीय जाँच परीक्षा में सफल होना आवश्यक होगा। चिकित्सीय परीक्षण के तहत चिकित्सा पर्षद द्वारा निम्न चिकित्सकीय दोषों का परीक्षण किया जायेगा।

" मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, Colour Blindness/Night Blindness, Hearing, Stammering, Bericoccele/Hydrocele/Piles तथा Any Communicable Physical/Mental Disease."

उक्त के अलावे अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से शारीरिक मापदण्ड अतर्गत उँचाई एवं सीना की माप की भी जाँच चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा। चिकित्सा पर्षद द्वारा की गई शारीरिक मापदण्ड की जाँच अंतिम रूप से मान्य होगी।

चिकित्सीय जाँच परीक्षण में उपर्युक्त वर्णित दोष पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

उक्त चिकित्सा पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए **"Apex Medical Board"** अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद, झारखण्ड, राँची होगा। चिकित्सकीय परीक्षण के संबंध में **"Apex Medical Board"** का निर्णय अंतिम होगा।

नोट-चिकित्सीय जाँच परीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपने स्तर से आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

VI. चयन पर्षद:-नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता / मापदण्ड परीक्षा हेतु चयन पर्षद का गठन निम्न स्वरूप के अनुसार होगा:-

- (i) चयन पर्षद में कम से कम दो पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- (ii) एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि-पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी।
- (iii) कारा निरीक्षणालय के प्रतिनिधि: कारा अधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी।
- (iv) जिला कल्याण पदाधिकारी
- (v) वरीयतम पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा चयन पर्षद के अध्यक्ष होंगे।

अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न चयन पर्षदों का गठन महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से किया जायेगा।

अध्याय-6

सामान्य

20 (c) "विभागीय परीक्षा का आयोजन विस्तृत पाठ्यक्रम अनुसूची-क के अनुरूप होगा।

3. सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली-2012 में समय-समय पर किये गये संशोधनों से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझे जाये।

4. यह अधिसूचना झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची-क**1. Paper- I- Law and Regulation**

There shall be one paper of Law and Regulations.

Duration:- 1½ hour's

Total Marks -100, Pass marks- 40

(i) **The Indian Penal code,1860/The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023**

(ii) **Probation of Offenders Act, 1958 (20 to 1958).**

(iii) **The Acts and rules in Bihar Jail Manual (Adopted in Jharkhand)**

- Prisoners act, 1900
- Prisons act,1894
- Jharkhand Parole rule, 2012
- State sentence review board rule
- Jharkhand open Jail rule

(iv) **Relevant Provisions of Cr.P.C,1973/ The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 in Jail Manual**

- Power to suspend or remit sentence
- Power to commute sentence.
- Restriction on power of remission or communication in certain cases.
- Concurrent power of central government in case of death sentence
- State Government to act after consultation with central government in certain cases.

2. Paper- II- Accounts

The examination in Accounts will be of one paper.

Duration:- 1 ½ hours

Total Marks -100, Pass marks- 50

(i) **An Introduction To Indian Government Accounts And Audit 1940**

- Chapter 1 - The purpose of Accounts and audit
- Chapter 8 – The working of treasury
- Chapter 10- The original records
- Chapter 13- The audit of expenditure
- Chapter 19- The audit of store and stocks

(ii) **Jharkhand treasury code 2016**

Chapter 1- Introductory

- Section I
- Section III

Chapter 2 - General Organisation and Working of Treasuries

- Section I- general organization, management treasury officers.

Chapter 3 - Receipt of Money into Government Account

- Section I – General rules

Chapter 4 - Withdrawal of Money from Government Account

- Section 1- General principle

(iii) **Office Procedure and Accounts, Registers in Jail manual**

Section I - General office procedure and Correspondence

Section II - Accounts General rules

Section III - Special rules relating to Manufactory Accounts

Section IV - Accounts Books

Section V - General registers and books

3. Paper- III- Criminology

The examination in Criminology will be of one paper.

Duration:- 1 ½ hours

Total Marks -100, Pass marks- 50

- (i) CRIME AND CRIMINOLOGY:- Legal and social definitions of crime - basis of criminalization - nature and scope of criminology.
- (ii) Explanation of Crime (Individualistic approach) - theories of Lambroso, ferri and garofalo - Lambroso theories and subsequent researches - mental deficiency psychoanalytical approach - physiological approach - heredity and crime.
- (iii) Organised crime- characteristic, Organised structure, type of organized crime.
- (iv) White collar crime - Nature and definition of white collar crime - Explanation of white collar criminality - white collar crime in India - Anti-white collar crime legislation - judicial attitude - recent change.

- (v) Kinds of punitive approaches - capital punishment - Imprisonment - fine - forfeiture of property - order for payment of compensation - community service - public censure - Externment - from a locality - corrective labour.
- (vi) Prison- Prison structure and prison management, Prison reforms. Open prison
- (vii) Juvenile delinquency

4. **Paper- IV - Jail manual-Bihar Jail manual(Adopted in Jharkhand)**

The examination in Jail Manual will be of one paper.

Duration:- 2 hours

Total Marks -150, Pass marks- 60

Chapter I - Acts and regulations which regulate the establishment and management of jail.

- (i) Prisoners Act, 1900
- (ii) Prisons Act, 1894
- (iii) Jharkhand Parole Rule, 2012
- (iv) State Sentence Review board Rule
- (v) Jharkhand open Jail Rule

Chapter II -

- Classification of Jails and sanctioned establishment

Chapter III

- (i) General Supervision
- (ii) Section 1- The Inspector General
- (iii) Section II- The Magistrate of the District

Chapter V- Jail Officers-

- (i) Section I- The Jail Superintendent
- (ii) Section II- The Medical officers
- (iii) Section III The Medical Subordinate
- (iv) Section VI- Rules relating to subordinate officers particularly and in some cases to Jail Officers generally.

- (v) Section VIII- The Jailors
- (vi) Section IX- The Assistant Jailors and Probationary Assistant Jailors
- (vii) Section XI- Warder Establishment

Chapter VI

- Convict officers
(Convict watchman)
(Convict overseer)

Chapter VII - Guarding and safe custody of prisoners

- Guarding
- Routine of the day and night

Chapter VIII -

- Alarms, Outbreaks and Escapes

Chapter IX- The admission of a prisoner**Chapter X – Prisoners Property****Chapter XI - Prisoners History ticket****Chapter XIII - The release of a prisoner****Chapter XV – Separation****Chapter XVI - Discipline and daily routine****Chapter XVII - Interviews and communications****Chapter XVIII - Rules for religious and moral instruction and religious observance in prisons****Chapter XIX - Offences and Punishments****Chapter XX – Relating to treatment of Prisoners in cell****Chapter XXI - Remissions****Chapter XXIII - Accidents and suicides in Jails****Chapter XXIV – Transfer of Prisoners****Chapter XXVI - Under trial Prisoners**

Chapter XXVIII – Female Prisoners & Children**Chapter XXX – Prisoner condemn to death****Chapter XXXII - Lunatics****Chapter XXXIV – Classification of convicted prisoners for purpose of treatment****Chapter XXXVI - FOOD**

- Section I
- Preparation of food
- Procuring and storing of food supplies

Chapter XXXVII - Jail Garden and Agriculture**Chapter XXXVIII - Clothing, Bedding and Jail equipment****Chapter XL – Medical Administration - Hospital Management, disease & epidemics****Chapter XLII - Office procedure and accounts**

- General office procedure and correspondence
- Accounts-General Rules for G.D. & M.D.

5. Paper- V – Hindi

The examination in Hindi will be of one paper.

Duration:- 2 hours

Total Marks -100, Pass marks- 40

- Hindi Tippan & Prarupan Pariksha for Non-Gazetted employees conducted by Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha .

6. Paper- VI- Compulsory Examination in Tribal Language

The examination in Tribal Language will be of one paper.

Duration:- 2 hours

Total Marks -100, Pass marks- 40

- Tribal language exam conducted by central examination committee, Jharkhand, Ranchi in 04 tribal language i.e Santhali, Mundari, Oraon and Ho.
